

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 4-06/30/सं./2021.—राज्य शासन एतद्वारा राज्य के होनहार किन्तु अर्थाबग्रस्त युवा कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण/शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम।**— यह नियम “अर्थाबग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, 2021” कहलाएगा।
2. **परिभाषाएं।**—
 - (1) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;
 - (2) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (3) “विभाग” से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
 - (4) “संचालनालय” से अभिप्रेत है, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़;
 - (5) “संचालक/आयुक्त” से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़;
 - (6) “वर्ष” से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समयावधि;
 - (7) “अर्थाबग्रस्त कलाकार” से अभिप्रेत है ऐसे कलाकार/छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय रुपये 72000/- से अधिक न हो;
3. **प्रदर्शनकारी कला/विधाएं जिनके लिए छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।—**

क्र.	विधाएं	उप विधाएं
01.	लोक/पारंपरिक जनजातीय कलाएं	— छत्तीसगढ़ की समस्त पारंपरिक जनजातीय और लोक नाट्य, नृत्य, गीत/संगीत, खेल, चंदैनी, भरथरी, गोपी-चंदा, पंडवानी, घोटुल पाटा, धनकुल जगार तथा छत्तीसगढ़ की अन्य पारंपरिक लोक जनजातीय गाथाएं, वाद्य, पाक कला, सौंदर्यकला, गायन, वादन आदि।
02.	शास्त्रीय संगीत	— हिन्दुस्तानी (गायन/वादन) एवं कर्णाटिक (गायन/वादन) आदि।
03.	शास्त्रीय नृत्य तथा नृत्य संगीत	— भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहनीअट्टम, ओडिसी, मणीपुरी, कथकली, ओडिसी नृत्य एवं संगीत आदि।
04.	रंगमंच	— हिन्दी और छत्तीसगढ़ी नाट्य मंचन, नाचा, भतरा, नाट तथा अन्य लोक जनजातीय नाट्य विधा सहित।
05.	दृश्य कला	— ग्राफिक्स, मूर्तिकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मृदभाण्ड तथा मृणकला (Ceramics) छत्तीसगढ़ के विविध लोक जनजातीय परंपराओं के चित्रांकन की विधा आदि।
06.	मुगम शास्त्रीय संगीत	— तुमरी, दादरा, टप्पा आदि कब्बाली, गज़ल आदि।

4. **उद्देश्य—**

- (1) राज्य के ऐसे छात्र/छात्राएं जो संगीत, नृत्य, प्रदर्शनकारी कला विधा में शिक्षा/उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत को छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- (2) गुरुशिष्य परंपरा के तहत पारंपरिक लोक कलाएं सीखने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- (3) संस्कृति संचालनालय द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित कलाकारों/छात्रों को महत्वपूर्ण विधा जो क्रमांक 03 में वर्णित है, के लिए

5. **पात्रता—** छात्रवृत्ति के लिए आवेदक की पात्रता की सामान्य शर्तें/नियंत्रण निम्नानुसार होंगी :—

यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी ऐसे कलाकारों/छात्रों के लिए खुली रहेगी, जो नीचे रखी अर्हता रखते हों—

- (1) छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हो;
 - (2) आवेदक अथवा उनके परिवार की वार्षिक आय रुपये 72,000/- से अधिक न हो;
 - (3) आवेदक की आयु 15 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो;
 - (4) ऐसे आवेदक जिन्हें भारत सरकार/छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की किसी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति दी जा रही है, इसके लिए पात्र नहीं होंगे;
 - (5) लोक विधा में इस योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा;
 - (6) गुरुशिष्य परंपरा के अंतर्गत विगत 6 माह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक जिले से ऐसे 2 प्रशिक्षार्थी को जिलाध्यक्ष की अनुशंसा से;
 - (7) स्कूल शिक्षा-मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में अध्ययनरत मैट्रिक (10+2)/समकक्ष में अध्ययन के लिए संस्था प्रमुख की अनुशंसा से,
 - (8) उच्च शिक्षा-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर/समकक्ष, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पूरे तथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली एवं अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए संस्था प्रमुख की अनुशंसा से,
6. आय के सत्यापन के संबंध में विधिवत् शपथ-पत्र (Affidavit) निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-दो) में अथवा अपने जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र-परिशिष्ट-तीन के अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **छात्रवृत्ति की अवधि—**

- (1) चयनित छात्र/छात्राओं/प्रशिक्षार्थी को 01 वर्ष के लिए देय होगी।
- (2) सामान्यतया उच्च प्रशिक्षण/आगामी प्रशिक्षण गुरुशिष्य परम्परा के अन्तर्गत अथवा देश के किसी मान्यता प्राप्त संस्था/अपने गुरु से प्राप्त किया जा सकेगा।
- (3) प्रशिक्षणार्थी द्वारा पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है तथा प्रशिक्षणान्तर्गत संबंधित विधा में सैद्धांतिक विषय (यदि हो तो), के अध्ययन के अतिरिक्त नियमित रियाज़/अभ्यास अपेक्षित होंगे।

8. छात्रवृत्ति की राशि.—

- (1) छात्रवृत्ति मासिक होगी जिसमें यात्रा, पाठ्यपुस्तकों, कला सामाग्रियों अथवा अन्य उपकरणों तथा प्रशिक्षण प्रभार पर व्यय आदि, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।

क्र.	स्तर का विवरण	मासिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि	प्रतिवर्ष चयनित छात्र/छात्रा/ प्रशिक्षार्थी की संख्या	कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रशिक्षण संस्था/गुरुशिष्य परंपरा	5000/-	56	2.80 लाख
2.	स्कूल शिक्षा	8000/-	30	2.40 लाख
3.	उच्च शिक्षा	10000/-	15	1.50 लाख
कुल राशि				6.70 लाख
शब्दों में कुल राशि रु. छे लाख सत्तर हजार मात्र				

- (2) चयनित आवेदकों द्वारा संबंधित संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें देय छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रतिवर्ष डिमांड ड्राफ्ट/ऑन लाइन किया जाएगा।
- (3) प्रशिक्षणावधि में प्रशिक्षणार्थी का शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक छः महिने के अंतराल में किया जावेगा एवं प्रगति संतोषप्रद न पाये जाने पर देय राशि की अगली किस्त रोकी जा सकेगी।

9. आवेदन प्रक्रिया.—

- (1) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन/प्रविष्टियां आमंत्रण हेतु प्रतिवर्ष राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जनसम्पर्क संचालनालय/संस्कृति विभाग के वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित/प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।
- (2) आवेदन-पत्र संबंधित संस्था प्रमुख के नाम से निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-एक) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) किसी भी आवेदक द्वारा चयन न होने की स्थिति में योजना अन्तर्गत विचीय सहायता का दावा नहीं किया जा सकेगा और न ही उक्त संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा।

10. आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न.—

- (1) शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि की पुष्टी हेतु प्राप्त उपाधि, पत्रोपाधि (डिप्लोमा) तथा प्रमाण-पत्रों, प्रशस्ती पत्रों आदि की सत्यापित छाया प्रतिलिपि;
- (2) आयु प्रमाण-पत्र अथवा मैट्रिक/10+2 अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतिलिपि (जन्मपत्री को छोड़कर);
- (3) हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साईज की एक फोटो, शास्त्रीय नृत्य के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए वेशभूषा एवं विभिन्न नृत्य मुद्राओं के साथ लिए गए फुल साईज के तीन अतिरिक्त फोटोग्राफ़;
- (4) पेटिंग, मूर्तिकला तथा व्यावहारिक कलाओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के साथ उत्कृष्ट स्तर के मूल कला कृतियों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रतिलिपि संलग्न होना चाहिए तथा संगीत के लिए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उत्कृष्ट प्रस्तुति की एक ऑडियो रिकार्डिंग भेजा जाना चाहिये।

ललित कला जैसे दृश्य कला के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि आवश्यक है;

- (5) पूर्णरूप से भरे गये आवेदन पत्र संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाना चाहिए, अपूर्ण आवेदन पत्रों अथवा निर्धारित प्रपत्र से भिन्न आवेदन प्रपत्र अथवा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा;

- (6) लोक एवं जनजातीय आवेदनकर्ताओं को निर्दिष्ट आवेदन पत्र में वांछित जानकारी के साथ अपने गुरु, जिनके माध्यम से वे संबंधित सृजनात्मक अथवा प्रदर्शनकारी कला को सीख रहे हैं से अभिप्राणित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि आवेदनकर्ता अपने गुरु से कितने वर्षों से यह प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा उन्होंने कितनी अवधि से संदर्भित विधा का प्रदर्शन किया है। इन आवेदनकर्ताओं के संबंध में किसी और उपाधि/पत्राधि संबंधित अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
- (7) अंतिम चयन उपरान्त चयन परिणाम की जानकारी केवल चयनित उम्मीदवारों को डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी;
- (8) पते में परिवर्तन होने पर जानकारी तत्काल विभाग को भेजा जाना चाहिए, इसके लिए उस विषय का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए जिसके लिए आवेदन भेजा गया है;
- (9) उक्त नियमों में यथोचित संशोधन/परिवर्तन का अधिकार शासन को होगा;

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 4-07/सं./30/2021.—राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के रामायण मंडलियों के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास हेतु “रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना 2021” के अंतर्गत कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/पुरस्कार हेतु निमानुसार नियम बनाता है अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार.—

- (1) ये नियम “रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना 2021” कहलायेंगे।
 (2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ.—

- (1) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
 (2) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।
 (3) “विभाग” से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग।
 (4) “संचालनालय” से अभिप्रेत है संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व।
 (5) “संचालक/आयुक्त” से अभिप्रेत हैं संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व।
 (6) “समिति” से अभिप्रेत है इस नियम के कंडिका 7 के अंतर्गत गठित समिति।
 (7) “रामायण मंडली” से अभिप्रेत है विविध लोक कलाओं, नृत्य-संगीत, टीकाकार, छत्तीसगढ़ी, गीतकार, वाद्ययंत्र वादक।

3. उद्देश्य.—

- (1) राज्य के रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करना।
 (2) प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाने में अपना सतत् योगदान देने वाले रामायण मंडलियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
 (3) लोक कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/पुरस्कार की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाना।

4. चयन प्रक्रिया.—

- (1) दैनिक समाचार पत्रों तथा संचालनालय के मूचना पटल, सोशल मीडिया एवं वेबसाईट के माध्यमों से सूचना प्रसारित की जाएगी।
 (2) ग्राम पंचायत स्तर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त चयनित मंडली का नाम ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।